पत्रांकः—————— दिनांकः——————

नगर निगम कार्यालय, मुंगेर ।

प्रेषकः—

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुंगेर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
सूचना भवन बेली रोड,
बिहार, पटना ।

विषयः— 'आम सूचना' बिहार विज्ञापन नीति—2008 के आलोक में प्रकाशन करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि नगर निगम, मुंगेर के सैरातों का वित्तीय वर्ष 2014—15 के लिए बन्दोबस्ती आम सूचना प्रकाशन हेतु निविदा की पाँच हार्ड कॉपी एवं एक सी0डी0 इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि बिहार विज्ञापन नीति 2008 के आलोक में संलग्न निविदा आम सूचना को प्रकाशित करने की कृपा की जाय तथा कृत कार्रवाई से इस कार्यलय को अवगत कराने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नकः— यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०
नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुंगेर।

ज्ञापांकः 77/न्ना० दिनांकः 11.01.2014

प्रतिलिपिः— जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.1

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुंगेर।

पत्रांक:– 77/न0नि0

दिनांक:– 11.01.2015

नगर निगम कार्यालय, मुंगेर ।

बन्दोबस्ती आम सूचना 2014–15

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर निगम, मुंगेर के निम्नलिखित सैरातों का वर्ष 2014–15 के दिनांक– 01/04/2014 से 31/03/2015 (एक वर्ष) तक के लिए खुली डाक द्वारा सैरातों के सामने अंकित (क) तिथि 06/02/2014 को समय-- 12.30 बजे अपराह्न में नगर निगम कार्यालय के सभाभवन में खुली डाक द्वारा बन्दोबस्ती की जाएगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को बन्दोबस्ती नहीं होने पर सैरातों के सामनो अंकित अनुवर्त्ती तिथि क्रमशः ख एवं ग को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर सार्वजनिक डाक में भाग ले सकते हैं।

क्रमांक	परिसम्पत्ति का विवरणी	सुरक्षित जमा राशि	जमानत राशि	बन्दोबस्ती की तिथि एवं समय
1	अस्पताल रोड शौचालय	23,415.00	9,366.00	(क) दिनांक– 06/02/2014 अपराह्न 12.30 बजे अनुवर्त्ती तिथि– (ख) दिनांक–07/02/2014 (ग) दिनांक–08/02/2014 अपराह्न 12.30 बजे
2	विश्वास बोर्ड द्वारा हस्तांतरित शौचालय के अंतर्गत टैक्सी स्टैण्ड शौचालय का डाक	73,647.00	29,459.00	
3	पूर्वी किला गेट शौचालय	1,57,500.00	63,000.00	

आवश्यक शर्त्तें:–

1. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को डाक बोलने के पूर्व अपना आवासीय पता अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा निर्गत या वोटर कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
2. डाक में भाग लेने के पूर्व डाक वक्ता को सुरक्षित जमा राशि का 40 प्रतिशत जमानत की राशि नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा जो डाक समाप्ति के बाद असफल डाक वक्ताओं को जमानत की राशि वापस कर दी जाएगी, तथा सफल वक्ता की जमानत की राशि डाक की बोली गई गई स्वीकृत राशि में समायोजित कर दिया जाएगा।
3. उच्चतम डाक वक्ता को बन्दोबस्ती दी जाएगी तथा डाक समाप्ति के तुरंत बाद डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगी।
4. बन्दोबस्ती स्थल की सफाई एवं रख–रखाव की जिम्मेवारी डाकधारी की होगी।
5. सभी तरह के विवादों का निपटारा स्थानीय न्यायालय स्तर से ही मान्य होगा।
6. इण्डियन स्टाम्प एक्ट सिड्यूल–11 के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण स्वीकृत बन्दोबस्ती की राशि के 3 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा स्वीकृत बन्दोबस्तदार को करना अनिवार्य होगा।
7. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये डाक को रद्द/समाप्त करने या पुनः डाक कराने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

11.1

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुंगेर।